

ब-अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0- 99 / 16-17

शमसुद्धीन अंसारी बनाम् वहीद अंसारी

5

17-8-17

-: आदेश :-

वर्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक शमसुद्धीन अंसारी, पे0-मरतुम जियानत अंसारी, सा0-चितरकोठी, बागजोरी थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा ने मौजा-चितरकोठी, बागजोरी नं0-29, जमाबंदी नं0-04 के दाग नं0-128 के अन्दर कुल रकवा 01-03-00 धूर भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बागजोरी के मूल निवासी है तथा अपने रोजी-रोजगार के लिए बसगढ़ा थाना-रूपौली, जिला- पूर्णिया में रोजगार हेतु रहते हैं। विवादित भूमि मौजा-चितरकोठी, बागजोरी नं0-29, जमाबंदी नं0-04 आवेदक का पुस्तैनी जमीन है। उक्त जमीन जमाबंदी रैयत अरदली मियां, पे0-नेवाजी मियां व करामत मियां वो देयानत मियां, पे0-भुखन मियां व रहीम मियां वल्द शमहीर मियां कोम-मोमीन साकिन देह कुल रकवा- 01-03-00 धूर भूमि कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। जमाबंदी रैयतों में अरदली मियां तथा रहीम मियां नावल्द फौत कर गये। उसके बाद करामत मियां वो देयानत मियां दोनों भाई सम्पूर्ण जमीन पर दखलकार हुए। जमाबंदी रैयत करामत मियां ने उक्त जमीन दयानत मियां को देकर दूसरे जमाबंदी की जमीन हिस्सा लेकर अलग हो गये। इस प्रकार उक्त जमीन पर दयानत मियां एक मात्र दखलकार हुए। दयानत मियां जमाबंदी रैयत जमाबंदी रैयत के फौत करने के बाद सभी भाई दखलकार एवं हकदार हुए तथा सभी भाई ने आवेदक शमसुद्धीन अंसारी को सम्पूर्ण जगह-जमीन देखभाल करने के लिए अधिकृत किया, जिस कारण आवेदक अपनी पुस्तैनी जमीन का देखभाल करने आते-जाते रहते थे। आवेदक विपक्षीगण को मौजा-चितरकोठी, बागजोरी नं0-29, जमाबंदी नं0-04 के दाग नं0-128 के अन्दर कुल रकवा 01-03-00 धूर भूमि देखरेख व भउली के लिए दिया था तथा आवेदक के अपने गांव आने पर आवभगत किया करता था। कुछ दिनों बाद विपक्षीगण के व्यवहार में बदलाव आ गया तथा पुस्तैनी जमीन का पैदावार मांगने पर गाली-गलौज करने लगे। आवेदक बाहर रहकर जीवन-यापन कर रहे हैं तथा विपक्षीगण जबरदस्ती आवेदक की पुस्तैनी जमीन कब्जा किया हुआ है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज है तथा विपक्षीगण को उक्त जमीन से कोई लेना-देना नहीं है। विपक्षीगण दबंग तथा अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा आवेदक के जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। उक्त जमीन के कुछ भाग पर विपक्षीगण द्वारा मकान बना रहा है। आवेदक द्वारा विपक्षीगण को जमीन छोड़ने के लिए कहने तथा पंचायती कराने पर किसी का बात नहीं मानते हैं तथा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधान 20 एवं 42 का उल्लंघन करते हुए अवैध दखल कर रखा है। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को अपनी भूमि की जानकारी नहीं है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। आवेदक सा0-बसगढ़ा, थाना-रूपौली जिला-पूर्णिया के निवासी हैं तथा उनके द्वारा बताया गया वंशवृक्ष गलत है। विवादित भूमि दयानत मियां से सीधे आवेदक को प्राप्त है, यह गलत है। आवेदक

के पास किसी प्रकार का पावर ऑफ एटर्नी तथा विवादित भूमि के अन्य रिश्तेदारों का प्राधिकार पत्र नहीं है। आवेदक का यह कहना गलत है कि विपक्षी जो 11 व्यक्ति हैं को 23 कट्टा भूमि कृषि हेतु दी गई थी, क्योंकि दाग नं०-128 में कुल भूमि 01-03-00 धूर है। वर्तमान में उक्त भूमि पर विपक्षियों का मकान बना हुआ है। चूंकि उस भूमि पर कई मकान बने हुए हैं। अतः खेती के लिए भउली का कोई प्रश्न ही नहीं था। विपक्षी उस जमीन पर दखल कार हैं तथा खजाना रसीद देते हैं। इस संबंध में दिनांक- 18.08.1998 में एक शपथ पत्र दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि दाग नं०-128 में अन्दर 00-11-10 धूर जमीन जोत-आबाद करने एवं मकान बनाकर रहने हेतु बतौर कुर्फा दिनांक-05.02.1933 को उनके साला के लड़के अब्दुल जब्बार, पे०-सकुर मियां, सा०-चितरकोटी, थाना-ललमटिया को दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि इस भूमि पर विपक्षी का Occupancy right प्राप्त हो गया है। दिनांक-13.12.1993 में भी एक शपथ पत्र उस्तर अंसारी, पे०-करामत मियां के द्वारा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि दिनांक-22.05.1937 को ही कुर्फानामा से वह भूमि दे दी गई है। अतः यह वाद चलने योग्य नहीं है। चूंकि विपक्षी को प्रश्नगत जमीन पर Occupancy right प्राप्त हो गया है। अतः वाद चलने योग्य नहीं है। अंत में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर दखल हेतु विपक्षी के द्वारा शपथ पत्र एवं कुर्फानामा को आधार माना गया है, परन्तु बहस के कम में उक्त कुर्फानामा का सत्यापन नहीं हो पाया। विपक्षी द्वारा कुर्फानामा की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया विपक्षी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रैयती भूमि पर अवैध दखल का मामला स्पष्ट होता है। यद्यपि विपक्षी द्वारा Santhal Pargana Settlement Regulation, 1872 के तहत Adverse Possession होने का तथ्य रखा है, तथापि WP.C no.-1401 of 2007 Chakram Mahto and others vrs. The State of Jharkhand JLRJ 2009 (4) के न्यायनिर्देशन की कंडिका-9 के अनुसार But transfer in disguised from and collusive manner continue which will be clear from the notice of the Mac Ferson to the settlement report of the Santhal Pargana wherein he warns any disguised transfer. His note was accepted by the government and the results was the amendment of the Regulation by which initially section 27 was inducted followed by section 20(1) of the Santhal Pargana Act. 1949. Thus, it will be evident that even the collusive compromise in a title suit to get an illegal transfer regularized by court of law was in contravention to section 20 of the Santhal Pargana Tenancy (Supplementary Provision) Act. 1949.

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विपक्षी को मौजा-चितरकोटी, बागजोरी नं०-29, जमाबंदी नं०-04 के दाग नं०-128 के अन्दर कुल रकवा 01-03-00 धूर भूमि से उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर आवेदक को दखल दिहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित ।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा ।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा ।

रामेश्वर प्रसाद
21/8/12
सिवर
विपक्षी